न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

नम्बर व अहकाम हुक्म की में आये

मुकदमा नम्बरः–13/24

मुकेशसिंह पुत्र प्रहलाद, जाति गुर्जर, निवासी कपूरा गलूका तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान

..........प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार बयाना

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 128 एवं 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 12/12/25

उपस्थितिः– श्री राकेश सैन एड0 प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 128 एवं 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कपूरा गलूका तहसील बयाना में प्रार्थी की नवीन आराजी खसरा नम्बर 300/1360 रकवा 0.82 हैक्ट. जो कि साविक आराजी खसरा नम्बर 598 रकवा 5 बीघा से बनाया गया है स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर के पुराने नवशा अवश में स्थित 300/1360 को उत्तर दिशा की ओर स्थापित कर दिया है जबकि वह दक्षिण दिशा में स्थापित है व आराजी खसरा नम्बर 300/1357 तरफ दक्षिण दिशा में स्थापित है उसको तरफ उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया है। दोनों ही आराजी खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड नक्शा में स्थान (दिशा) परिवर्तित कर दी गई है। जबकि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 300/1360 दक्षिण दिशा में तथा आराजी खसरा नम्बर 300/1359 तरफ उत्तर स्थित है, मगर बन्दोवस्त के दौरान राजस्व रिकार्ड में दिशा परिवर्तित कर दी है। जिससे प्रार्थी को सख्त हकतलफी है। जिसका मौके के अनुसार स्थान परिवर्तित कर पूर्व की भॉति मौके अनुसार स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। नक्शा में मौके के विपरित दोनों आराजी खसरा नम्बरान का आकार परिवर्तित हो गई है। नक्शा में जिस खसरा नम्बर का आकार बडा था, उसका आकार छोटा हो गया है और जिसका आकार छोटा था उसका आकृति बडी हो गई है। जिसके कारण मौके पर भविष्य में काश्त करना संभव नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों ही आरजी खसरा नम्बरान की दिशा एक दूसरे के विपरित हो गई है। जिसके कारण प्रार्थी को असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जबकि मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बरान को जोतने और बोन का काम पूर्व की भॉति चला आ रहा है। मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बरान की आकृति वर्तमान नक्शा में बदल जाने से उक्त दोनों आराजी खसरा नम्बरान की एक दूसरे की विपरित दिशा में दर्ज हो गये है। जबकि पुराने नक्शा में दोनों ही आराजी खसरा नम्बरान की स्थिति मौके के अनुसार सही थी। मगर बन्दोवस्तकर्मी/राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से वर्तमान नक्शा में दोनों आराजी खसरा नम्बरान की स्थिति परिवर्तित हो गई है, जिसे मौके अनुसार वर्तमान नक्शा में पूर्व की भॉति परिवर्तित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वर्तमान नक्शा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 300/1360 को तरफ उत्तर के स्थान पर तरफ दक्षिण में दर्ज किया जाये, तथा आराजी खसरा नम्बर 300/1357 को तरफ दक्षिण दिशा के स्थान पर तरफ उत्तर स्थापित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हो गया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने राजस्व रिकार्ड (वर्तमान नक्शा) में आराजी खसरा नम्बर 300/1360 को मौके के अनुसार तरफ उत्तर के स्थान पर तरफ दक्षिण में दर्ज किया जावे, इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 300/1369 तरफ दक्षिण के स्थान पर तरफ उत्तर को आराजी खसरा नम्बर 300/1360 के स्थान दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार बयाना से उक्त आराजी के सम्बन्ध में मौके तथा रिकार्ड की रिपोर्ट बाबत लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट क्रमांक/LR/25/1609 दिनांक 08.05.25 से न्यायालय हाजा भिजवाई गई। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है. ग्राम कपूरा मलूका के साविक खसरा नम्बर 598 के नवीन खसरा नम्बर 300/1359 रकवा 0.23 हैक्ट. व 300/1360 रकवा 0.81 हैक्ट. बने है। खसरा नम्बर 300/1359 रकवा 0.23 हैक्ट. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कपूरा मलूका खातेदार, तथा खसरा नम्बर 300/1360 रकवा 0.81 हैक्ट. मुकेशसिंह पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर सा.देह खातेदार रहन भ्वंथ्ठ बैंक हिन्डौनसिटी दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 300/1359 रकवा 0.23 हैक्ट. दक्षिण की तरफ एवं आकृति में बडा बना हुआ है। जबकि खसरा नम्बर 300/1360 रकवा 0.81 जो उत्तर दिशा में बना हुआ है, तथा जिसकी आकृति छोटी बनी हुई है। दोनों रकवे मौके पर खाली पडे हुए है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस एड0 प्रार्थी सुनने के बाद पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2073–76, मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग, नक्शा किश्तवार पी–35 क्रमांक 1999 दिनांक 11.07.2024, अक्स शजरा किश्तवार मौका कपूरा मलूका तहसील बयाना की प्रमाणित फोटोप्रति, जमाबन्दी संवत 2057–60 ग्राम कपूरा मलूका, जमाबन्दी संवत 2061–64 ग्राम कपूरामलूका, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट क्रमांक/LR/25/1609 दिनांक 08.05.25 का गहनता से अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात, रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 व 128 एवं 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड (नक्शा वर्तमान) में तरमीम कर आराजी 300/1360 एवं 300/1369 मौके के अनुसार आकृति उत्तर से दक्षिण व दक्षिण से उत्तर आपस में बदली जावे। तहसीलदार बयाना को पालनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक....12/12/25......को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आ.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)